पत्रांक–7/अधीक्षण–18–01/2017 116(7)व

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक :18-12-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–001– निदेशन और प्रशासन–0001–अधीक्षण विपत्र कोड– 20–2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,18,49,245/–(एक करोड़ अठारह लाख उनचास हजार दो सौ पैतालीस रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–10(7)ब दिनांक–15.05.17 एवं 61(7)ब दिनांक–18.09.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,18,49,245/–(एक करोड़ अठारह लाख उनचास हजार दो सौ पैतालीस रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–001– निदेशन और प्रशासन–0001–अधीक्षण विपत्र कोड– 20–2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ इस राशि में से संगत जिले यथा नालन्दा, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, बॉका, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा एवं शिवहर के जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करने हेतु उप आवंटन संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को करें ।

6. उप आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राशि की निकासी कर जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्व नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. वाहन का ईधन एवं रख–रखाव इकाई में आंवटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय –समय पर निंगत परिपत्रो में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

10. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01. 2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

11. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

12. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

18/12/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 116(7)9 पटना, दिनांक : 18-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित

18/12/17

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित अधीक्षण उपशीर्ष अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामगी एवं पूर्तियाँ (21–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	पटना	2900000	3770000	580000	20000	2900	29000	7301900	10000	10000	40000	100000	20000	0	94845	10000	7586745	1134/11.11.17, 1202/27.11.17, 1203/27.11.17
2	पूर्णियाँ	550000	715000	110000	0	5500	5500	1386000	0	0	0	0	0	0	0	0	1386000	305/8.11.17
3	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	25000	255/9.11.17
4	भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	440/8.12.17
5	दरभंगा	1100000	1430000	220000	0	5500	11000	2766500	0	10000	20000	0	0	5000	0	0	2801500	376/2.11.17
	कुल	**4550000**	**5915000**	**910000**	**20000**	**13900**	**45500**	**11454400**	**10000**	**20000**	**135000**	**100000**	**20000**	**5000**	**94845**	**10000**	**11849245**	

(एक करोड़ अठारह लाख उनचास हजार दो सौ पैतालीस) रू0 मात्र

116(7)9
18-12-17

18/12/17

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	वेतन (0001–01–01)	49965000	41100000	4550000	45650000	4315000
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	67453000	51180000	5915000	57095000	10358000
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	24982000	16296000	910000	17206000	7776000
4	परिवहन भत्ता (0001–01–05)	94000	26000	20000	46000	48000
5	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	240000	205500	13900	219400	20600
6	अन्य भत्ता (0001–01–07)	999000	810000	45500	855500	143500
7	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.06.001.0001.01 वेतन	**144233000**	**109617500**	**11454400**	**121071900**	**23161100**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	450000	0	0	0	450000
9	यात्रा व्यय (0001–11–01)	850000	325000	10000	335000	515000
10	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	1000000	470000	20000	490000	510000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001–13–02)	1275000	600000	135000	735000	540000
12	दूरभाष (0001–13–03)	350000	185000	0	185000	165000
13	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	4100000	3160000	100000	3260000	840000
14	विधि प्रभार (0001–13–05)	900000	132000	20000	152000	748000
15	वर्दी / पोषाक (0001–13–06)	100000	60000	5000	65000	35000
16	किराया महसूल एवं कर (0001–14–01)	495000	400155	94845	495000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	1125000	0	0	0	1125000
18	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0001–21–01)	450000	245000	10000	255000	195000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योगः–	**155329000**	**115194655**	**11849245**	**127043900**	**28285100**

116(7)9
18-12-17

18/12/17
सरकार के विशेष सचिव